

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग
॥ अधिसूचना ॥

अधि० सं०-सं०का०-०१/वि०मं०(महानुभाव)०८-११/२०२६-...../पटना, दिनांक-.....२०२६

बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, २००६ के नियम-३ के आलोक में श्रीमती रीना देवी, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद् को संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना सं०-५३६, दिनांक-२०.०५.२०२६ द्वारा दिनांक-१५.०५.२०२६ के प्रभाव से राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधायें प्रदत्त हैं। फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम २(ट) तथा नियम ३(ड) से इन्हें उक्त दर्जा के अनुरूप निजी स्टाफ की सुविधा प्राप्त है।

२. बिहार (मंत्रियों के वेतन और भत्ते) अधिनियम, २००६ के धारा २(ख) एवं बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, २००६ के नियम १८ से निर्धारित अनुसूची-१ एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं०-२८८ दिनांक-२३.०६.२०१४ द्वारा मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री को सरकारी एवं बाह्य सेवा के निजी कर्मचारी की सुविधा अलग-अलग प्रावधानित की गयी है।

३. उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में श्रीमती रीना देवी, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद् द्वारा राजपत्रित पदाधिकारी की श्रेणी में डॉ० संतोष कुमार, अवकाश रक्षित पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना (बिहार पशु चिकित्सा सेवा) को अपने आप्त सचिव के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा उनके पत्रांक-५१/२०२६ (स०को०) दिनांक-२२.०५.२०२६ द्वारा इस स्वघोषणा के साथ दी गयी है कि वे उनके सगे-सम्बन्धी नहीं हैं। उपर्युक्त अनुशंसा के आधार पर उक्त पदाधिकारी की सेवा आप्त सचिव के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध कराने हेतु संसदीय कार्य विभाग के पत्रांक-५९६, दिनांक-०२.०६.२०२६ तथा पत्रांक-६०३, दिनांक-०३.०६.२०२६ द्वारा डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया।

४. उपरोक्त के क्रम में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने अपने अधिसूचना ज्ञापांक-३३९५ दिनांक-०३.०७.२०२६ के द्वारा डॉ० संतोष कुमार, अवकाश रक्षित पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना की सेवा इस विभाग को उपलब्ध करा दिया है। तदनुसार इनकी सेवा महानुभाव के आप्त सचिव के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार विधान परिषद् सचिवालय को सौंपने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है। इनकी सेवाएं इस अधिसूचना के निर्गत होने के पश्चात् योगदान की तिथि से उक्त महानुभाव के कार्यकाल तक बनी रहेगी। परन्तु महानुभाव के द्वारा उसके पहले भी किसी भी तिथि से इनकी सेवा समाप्त कर पैतृक विभाग को वापस की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद वे अपने पैतृक विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

५. डॉ० संतोष कुमार, आप्त सचिव के वेतनादि का भुगतान बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

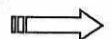
आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतियां सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त करा दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुधांशु शेखर)

सरकार के अवर सचिव।



ज्ञापांक-सं0का0-01 / वि0मं0(महानुभाव)08-11 / 2026-..... / पटना, दिनांक-..... 2026
प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी,
सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/अवर सचिव, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग,
(वित्त विभाग) पटना/प्रभारी सचिव, बिहार विधान परिषद्/लेखा-शाखा, बिहार विधान
परिषद्/श्रीमती रीना देवी, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान परिषद्/डॉ0
संतोष कुमार, आप्त सचिव (राजपत्रित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

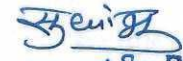
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-सं0का0-01 / वि0मं0(महानुभाव)08-11 / 2026-..... / पटना, दिनांक-.....2026
प्रतिलिपि-अवर सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को
उनकी अधिसूचना ज्ञापांक-3394 दिनांक-03.07.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-सं0का0-01 / वि0मं0(महानुभाव)-08-11 / 2026-.....785/ पटना, दिनांक-08.07.2026
प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


08-07-2026

सरकार के अवर सचिव।